



Neutral Citation Number- 2026:AHC:36158-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या-2407/2026

राजेश यादव

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: लालजी यादव, यशपाल यादव

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्याय कक्ष संख्या-45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. शुरुआत में ही, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने यह बताया है कि प्रस्तुत मामले में, जाँच पहले ही पूरी हो चुकी है और आरोप-पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है।
3. इसके विपरीत, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके, किंतु उन्होंने निवेदन किया है कि वे इस रिट याचिका पर ज़ोर नहीं देना चाहते और इसे वापस लेना चाहते हैं, साथ ही उन्हें उचित चरण पर उचित मंच के समक्ष जाने की स्वतंत्रता भी दी जाए।
4. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानकर **खारिज** की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



18 फरवरी, 2026

वीकेजी

(माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”